विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछें गये अतारांकित प्रश्न संख्या-26 का उत्तरः-

	प्रश्न	उत्तर
26(क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक एवं प्रवक्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से नवीन पेंशन योजना (एन0पी0एस0) के अन्तर्गत प्रदत्त एन0पी0एस0 योजना से आच्छादित होने के उपरान्त भी न तो उनके वेतन से कटौती की जा रही है और न ही राज्यांश ही दिया जा रहा है?	जी नहीं।
(ख)	यदि हॉं, तो क्या अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त उन शिक्षकों का एन0पी0एस0 योजना से सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	विवरण निम्नवत् है:- **जनपद अयोध्या-** दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त जनपद अयोध्या में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 428 सहायक अध्यापक एवं 132 प्रवक्ता कार्यरत हैं। जिनमें से 328 सहायक अध्यापक एवं 107 प्रवक्ता के प्रान नम्बर आवंटित हैं। प्रान नम्बर आवंटन के पश्चात उक्त शिक्षकों के वेतन से नियमित कटौती की जा रही है तथा एन०एस०डी०एल० के माध्यम से उनके प्रान खातों में धनराशि सम्प्रेषित की जा रही है। शेष शिक्षकों के प्रान नम्बर आवंटन हेतु आवेदन पत्र एन०एस०डी०एल० को प्रेषित किये जा चुके हैं। **जनपद अमेठी-** जनपद अमेठी में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त नियुक्त कुल 328 प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एन०पी०एस० योजना से आच्छादित हैं। समस्त शिक्षकों के वेतन से एन०पी०एस० की कटौती नियमानुसार की जा रही है तथा राज्यांश भी दिया जा रहा है। **जनपद अम्बेडकर नगर-** जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त नियुक्त कुल सहायक अध्यापकों की संख्या-506 है। जिनमें से 368 सहायक अध्यापकों के वेतन से एन०पी०एस० की कटौती नियमानुसार की जा रही है तथा राज्यांश भी दिया जा रहा है। 138 सहायक अध्यापकों का अन्य जनपदों से स्थानान्तरण के उपरान्त प्रान शिफ्टिंग गतिमान होने के कारण एन०पी०एस० की कटौती नहीं हो पा रही है। जनपद में प्रवक्ताओं की संख्या-84 है। जिनमें से 77 प्रवक्ताओं के वेतन से एन०पी०एस० की कटौती नियमानुसार की जा रही है तथा राज्यांश भी दिया जा रहा है। 07 प्रवक्ताओं का अन्य जनपदों से स्थानान्तरण के उपरान्त प्रान शिफ्टिंग गतिमान होने के कारण एन०पी०एस० की कटौती नहीं हो पा रही है। प्रान शिफ्टिंग होने के उपरान्त शिक्षकों के वेतन से एन०पी०एस० की कटौती एवं राज्यांश नियमानुसार जमा करा दी जायेगी। **जनपद बाराबंकी-** जनपद बाराबंकी में संचालित 35 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त नियुक्त सहायक अध्यापकों की संख्या 247 है एवं प्रवक्ताओं की सख्या 59 है। जनपद में कुल 306 शिक्षक एन०पी०एस०

		योजना से आच्छादित हैं। समस्त शिक्षकों के वेतन से एन०पी०एस० की कटौती नियमानुसार की जा रही है तथा राज्यांश भी दिया जा रहा है। **<u>जनपद सुल्तानपुर-</u>** जनपद सुल्तानपुर में संचालित 58 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक-01 अप्रैल, 2005 के उपरान्त 524 शिक्षक नियुक्त हैं। जिसमें से 496 प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों का कर्मचारी अंशदान एवं राज्यांश माह अगस्त 2024 तक उनके प्रान खाते में भेजा जा चुका है। माह सितम्बर-2024 से माह मार्च, 2025 तक का राज्यांश बजट जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र दिनांक 06-02-2025 द्वारा मांगा गया है। उक्त पत्र के क्रम में दिनांक 27-02-2025 को वित्त नियंत्रक, प्रयागराज द्वारा जनपद को धनावंटन कर दिया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के प्रान खाते में राज्यांश की धनराशि स्थानान्तरित कर दी जायेगी। शेष 29 शिक्षकों का प्रान आवंटित नहीं है।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

(गुलाब देवी)
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)